(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 28 **नई दिल्ली**, 19 जनवरी, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, जेएनपीटी और मुम्बई पत्तन के बीच संचलित पोतांतरण कंटेनरों के लिए दरों पर स्पष्टीकरण माँगने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से प्राप्त संदर्भ का निपटान करता है

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/53/2008–जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ----- आवेदक

आदेश

(दिसम्बर, 2009 के 30वें दिन पारित)

यह मामला जेएनपीटी और मुम्बई पत्तन के बीच संचलित पोतांतरण कंटेनरों के लिए दरों पर स्पष्टीकरण माँगने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से प्राप्त संदर्भ से संबंधित है।

2.1. जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 3 मार्च 2008 द्वारा जेएनपीटी और मुम्बई पत्तन के बीच संचलित पोतांतरण कंटेनरों के बिल तैयार करने के संबंध में मेरीटाइम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एमएसपीएल) द्वारा जेएनपीटी को दिया गया संदर्भ अग्रेषित किया है। एमएसपीएल द्वारा अपने संदर्भित पत्र में कही गई प्रमुख बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:–

(i). आयात कंटेनर बार्जों के माध्यम से जेएनपीटी से मुम्बई पत्तन पोतांतरित किए जाते हैं।

(ii). जेएनपीटी के दरमान (एसओआर) की टिप्पणी 4 में कहा गया है कि तटीय नौचालन पर भारतीय पत्तन को अनुवर्ती पोतांतरण अथवा विलोमतः के लिए जेएनपीटी में उतरने वाले विदेशी पत्तन के कंटेनर से विदेशी पोतों के लिए निर्धारित पोतांतरण प्रभारों का 50 प्रतिशत वसूल किया जाएगा और उसका 50 प्रतिशत तटीय श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है।

(iii). चूंकि जेएनपीटी एसओआर पोतांतरण कंटेनरों के लिए तटीय प्रशुल्क निर्धारित नहीं करता है, इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि विदेशी प्रशुल्क लागू होगा।

(iv). 20′ पोतांतरण कंटेनर के लिए, जेएनपीटी एसओआर में निर्धारित दर रु0 2550/– है। इसलिए, टीपी बिलिंग रु0 1275/– पर अथवा विदेशी पोत के लिए रु0 1275/– के आधार पर और तटीय बार्ज के लिए रु0 637.50 पर आधारित होना चाहिए।

2.2. उपर्युक्त संदर्भ में, जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 3 मार्च 2008 में निर्धारित निवेदन किए हैं:–

(i). तटीय पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए कोई पृथक दर निर्धारित नहीं है।

(ii). पोतांतरण कंटेनरों के लिए लागू प्रभार सामान्य प्रहस्तन प्रभारों का 50 प्रतिशत है।

(iii). जेएनपीटी इस सेवा के लिए जेएनपीटी दरमान के अध्याय 3 के खंड 3.3.1 (घ) के अनुसार रु0 2550/– प्रति टीईयू वसूल करता है।

2.3. चूंकि एमएसपीएल जेएनपीटी के मतों से सहमत नहीं है, इसलिए जेएनपीटी ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि पोतांतरण कंटेनर के लिए पत्तन द्वारा प्रभार्य वास्तविक प्रभारों के साथ–साथ उसके दरमान के प्रावधानों को स्पष्ट करें।

3.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, जेएनपीटी से संलग्नकों के साथ प्राप्त संदर्भ की प्रति संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी।

3.2. मुम्बई और न्हावा शेवा शिप एजेंट्स असोसिएशन (मानसा) और कंटेनर शिपिंग लाइन्स असोसिएशन (इंडिया) [सीएसएलए] से प्राप्त टिप्पणियां जेएनपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थी। इस मामले को अंतिम रूप दिए जाने तक हमें जेएनपीटी का प्रतिसाद प्राप्त नहीं हुआ है।

4. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 27 नवम्बर 2009 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी।

5. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

6. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः–

(i). महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निदेश के अनुपालन में, सभी महापत्तन न्यासों और वहां पर निजी टर्मिनल प्रचालकों पर प्रभार्य तटीय कार्गो/कंटेनरों/पोत संबंधित प्रभारों के लिए रियायती दरें निर्धारित करने के लिए, इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी/4/2004–सामान्य दिनांक 10 जनवरी 2005 द्वारा 1 फरवरी 2005 से सामान्य शर्तों के रूप में सरकार का नीति निदेश शामिल करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों के दरमान संशोधित किए थे। तत्संबंधी पत्तनों/टर्मिनलों के दरमान में सरकार के नीति निदेश के अनुसार रियायती तटीय कार्गो/कंटेनर/पोत संबंधित प्रभार निर्धारित करने के लिए सामान्य शर्तें शामिल की गई थीं।

(ii). मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 4.3 तटीय कंटेनरों के लिए सामान्य कंटेनर संबंधित प्रभारों की दरों के 60 प्रतिशत से अनाधिक रियायती प्रशुल्क निर्धारित करता है।

(iii). प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 5.5.1 विनिर्दिष्ट करता है कि पोतांतरण कंटेनरों के लिए प्रहस्तन प्रभार रियायती होंगे। ऐसे प्रभार तटीय कंटेनरों के लिए खंड 4.3 में निर्दिष्ट रियायत के अधीन लागू प्रहस्तन प्रभारों के संदर्भ में परिकलित किए जाएंगे।

(iv). जेएनपीटी का दरमान पिछली बार सितम्बर 2006 में मामला सं. टीएएमपी/48/2005–जेएनपीटी में आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2006 द्वारा संशोधित किया गया था। जेएनपीटी के मौजूदा दरमान के अध्याय 1 में निर्धारित खंड 1.2 (vi) (ख) विदेशी कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए निर्धारित दरों के 60 प्रतिशत पर तटीय दरों की वसूली के लिए दिया गया है।

(v). जेएनपीटी के दरमान में निर्धारित खंड 3.3.3 की टिप्पणी 4 के अनुसार, तटीय नौचालन पर भारतीय पत्तन अथवा विलोमतः अनुवर्ती पोतांतरण के लिए जेएनपीटी में उतरने वाले विदेशी पत्तन के कंटेनर से विदेशगामी पोतों के लिए निर्धारित पोतांतरण प्रभारों का 50 प्रतिशत और तटीय श्रेणी के लिए उस निर्धारित का 50 प्रतिशत वसूल किया जाएगा।

(vi). पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभारों की वसूली के संबंध में जेएनपीटी के मौजूदा दरमान के खंड 3.3.1 में किया गया निर्धारण नीचे दिया गया हैः–

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति टीईयू (रु0 में) विदेशी कंटेनर	
		लदा हुआ	खाली
1.	*1 – 3000 टीईयू*	*2550*	*2210*
2.	*3001 – 6000 टीईयू*	*2380*	*2040*
3.	*6001 – 9000 टीईयू*	*2210*	*1870*
4.	उसके पश्चात	*2040*	*1700*

(vii). एक दरमान सिर्फ उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के लिए कुछ दरों का सैट देते हुए एक दस्तावेज नहीं है। इसमें दरों के क्रियान्वयन को शासित करने वाली शर्तें भी होती हैं। इसलिए, जेएनपीटी का दरमान निष्कर्षतः लागू प्रशुल्क पर निर्णय लेने के रूप में देखा जाना चाहिए। जेएनपीटी के मौजूदा दरमान में निर्धारित अध्याय 1 का खंड 1.2 (vi) (ख) और खंड 3.3.3 की टिप्पणी 4 साथ–साथ पढ़ने से यह स्थिति निकलकर आती है कि पोतांतरण कंटेनरों के लिए तटीय दरें लागू हैं और दरमान में दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि पोतांतरण कंटेनरों के लिए प्रभार निर्धारित करने वाली तालिका सिर्फ विदेशी कंटेनरों के लिए है जो तालिका में दिए गए शीर्षक से देखा जा सकता है। यदि तटीय पोतांतरण के लिए कोई रियायत देने की मंशा न होती, जो किसी भी मामले में सरकारी निदेश के प्रतिकूल होगा, तो तब जब पोतांतरण में विदेशी के साथ–साथ तटीय लैग्स भी शामिल हैं, प्रभार वसूल करने के आधार का ब्योरा देते हुए खंड 3.3.3 के अधीन टिप्पणी 4 निर्धारित करने की जरूरत नहीं होती।

(viii). संयोगवश, जेएनपीटी में अन्य दो निजी कंटेनर टर्मिनलों नामतः एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल के दरमान में, पोतांतरण कंटनरों के लिए तटीय दरें विदेशी पोतांतरण कंटेनरों के लिए निर्धारित दरों के 60 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल ने शुरू में जेएनपीटी का प्रशुल्क ढाँचा अंगीकृत किया था और एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल का मौजूदा प्रशुल्क ढाँचा जेएनपीटी के उसी प्रशुल्क ढाँचे से ज्यादा आकर्षित लगता है। एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल दोनों के दरमान में तटीय

कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए दरों से संबंधित पृथक प्रावधान किया गया है जोकि विदेशी पोतांतरण कंटेनरों के लिए निर्धारित दरों के 60 प्रतिशत के समकक्ष है।

(ix). पहले उल्लिखित जेएनपीटी के दरमान के खंड 1.2 (vi) (ख) का अनुसरण करते हुए और 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 5.5.1 को ध्यान में रखते हुए जिसमें तटीय पोतांतरण कंटेनरों के लिए प्रहस्तन प्रभारों का निर्धारण विनिर्दिष्ट करता है, खंड 3.3.1 में मौजूदा उप–खंड घ के अधीन अनुसूची को निम्नवत् पढ़ने के लिए लिया जा सकता है:–

पोतांतरण कंटेनरों का प्रहस्तनः

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति टीईयू (रु0 में)			
		विदेशी कंटेनर		तटीय कंटेनर	
		लदा हुआ	खाली	लदा हुआ	खाली
1.	1-3000 टीईयू	2550	2210	1530	1326
2.	3001-6000 टीईयू	2380	2040	1428	1224
3.	6001-9000 टीईयू	2210	1870	1326	1122
4.	उसके पश्चात	2040	1700	1224	1020

(x). खंड 3.3.3 की मौजूदा टिप्पणी 4 के अनुसार, तटीय नौचालन पर भारतीय पत्तन को अथवा विलोमतः अनुवर्ती पोतांतरण के लिए जेएनपीटी में उतरने वाले विदेशी पत्तन के कंटेनर से विदेशी कंटेनरों के लिए निर्धारित पोतांतरण प्रभारों का 50 प्रतिशत और तटीय श्रेणी के लिए उस निर्धारित का 50 प्रतिशत वसूल किया जाएगा।

8.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण स्पष्ट करता है कि जेएनपीटी का मौजूदा दरमान तटीय कंटेनरों के पोतांतरण के लिए रियायती दरों हेतु पहले ही दिया गया है और लागू दरें डिवाइजिंग करने के लिए दिया गया है जब पोतांतरण में विदेशी लैग और तटीय संचलन शामिल है। जेएनपीटी को अपने दरमान में दिए गए प्रावधानों का अनुसरण करना चाहिए।

8.2. इस प्राधिकरण का यह मतह है कि जेएनपीटी से इतर किसी अन्य पत्तन के लिए घोषित अंतिम गंतव्य के साथ विदेशी पत्तन का जो कंटेनर बीच मार्ग में जेएनपीटी में प्रहस्तित किया जाता है केवल वही पोतांतरण दरों के लिए पात्र होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक विदेशी कंटेनर जो मूलतः जेएनपीटी में ले जाया जाता है और बाद में जेएनपीटी से दूसरे भारतीय पत्तन को पुनः परेषित किया जाता है तो वह पोतांतरण दरों के लिए पात्र नहीं होगा। जेएनपीटी से दूसरे भारतीय पत्तन तक पुनः परेषण के ऐसे मामलों में, जेएनपीटी और दूसरे पत्तन के बीच इसके तटीय नौचालन के लिए सामान्य तटीय दर लागू की जाएगी। चूंकि यह मुद्दा सरकार की तटीय नीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस उप–अनुच्छेद में प्रतिवेदित इस प्राधिकरण का निवर्चन पोत परिवहन मंत्रालय की जानकारी में लाया जा रहा है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा